भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 542

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण</u>

542. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

श्री इटेला राजेंदर:

श्री टी. एम. सेल्वागणपति: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने देशभर में 150 मीटर ऊँचाई वाले हब पर 1,164 गीगावाट की क्षमता और नई संभावनाओं को तलाशने की सूचना दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (बीजीएफ) आरम्भ की है, जिसका लक्ष्य पहले चरण में 1 गीगावाट -गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की कुल स्थापित क्षमता 500 गीगावाट के करीब है, जिसमें गैर-जीवाश्म स्रोतों का योगदान 257 गीगावाट से अधिक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) विकसित भारत 2047 के लिए सरकार की भावी कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों/कंपनियों की भूमिका क्या है तथा कितनी निधि स्वीकृत और व्यय की गई है;

(ङ) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक और 6 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता का उत्पादन होने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या तमिलनाडु अपतटीय पवन परियोजना के लिए निविदा फरवरी, 2026 तक जारी होने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा किए गए पवन संसाधन मूल्यांकन में देश में जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर लगभग 1164 गीगावॉट की अनुमानित पवन विद्युत संभाव्यता दर्शाई गई है। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने 7453 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना शुरू की है, जिसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन

ऊर्जा परियोजनाएं (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर, प्रत्येक 500 मेगावाट) स्थापित और शुरू करने के लिए 6853 करोड़ रु. का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रु. का अनुदान शामिल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 11.09.2024 की स्वीकृति के अनुसार 'अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना' के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ग) दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल विद्युत स्थापित क्षमता 505.02 गीगावॉट है जिसमें गैर-जीवाश्म स्रोतों से 259.42 गीगावॉट शामिल है। क्षेत्रवार स्थापित क्षमता विवरण इस प्रकार है:

सेक्टर	**क्षमता (गीगावाट में)**
तापीय (थर्मल) (क)	245.60 गीगावाट
परमाणु (ख)	8.78 गीगावाट
आरई (बड़े हाइड्रो सहित) (ग)	250.64 गीगावाट
उप-कुल (गैर-जीवाश्म ईंधन) (ख+ग)	**259.42 गीगावाट**
कुल विद्युत स्थापित क्षमता (क+ख+ग)	**505.02 गीगावाट**

(घ) वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, नीति आयोग ने 6 अंतर-मंत्रालय कार्य समूहों की स्थापना की है, ताकि विद्युत, परिवहन, उद्योग, कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, परिवर्तन के व्यापक आर्थिक प्रभाव, जलवायु वित्त और ऊर्जा परिवर्तन के सामाजिक पहलुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करने के लिए नेट-जीरो के लिए ऊर्जा परिवर्तन रोडमैप विकसित किया जा सके।

(ङ) चालू वित्त वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल, 2025-31 अक्टूबर, 2025) के दौरान देश में 3.56 गीगावॉट की नई पवन क्षमता जोड़ी गई है। पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान देश में पवन क्षमता में 4.15 गीगावॉट की वृद्धि हुई थी।

(च) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे) ने तमिलनाडु स्थल के पवन संसाधन मूल्यांकन के लिए फ्लोटिंग लिडार बोया की स्थापना की है। नीवे ने तमिलनाडु साइट के लिए भूभौतिकी अध्ययन भी किया। तमिलनाडु अपतटीय पवन परियोजना के विकास के लिए पवन संसाधन आकलन और अन्य अध्ययनों के परिणामों से निविदा जुड़ी है।

अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य	150 मीटर भूमि से ऊपर (गीगावाट) पवन विद्युत की संभाव्यता
1	आंध्र प्रदेश	123.33
2	गुजरात	180.79
3	कर्नाटक	169.25
4	मध्य प्रदेश	55.42
5	महाराष्ट्र	173.86
6	राजस्थान	284.25
7	तमिलनाडु	95.10
8	तेलंगाना	54.71
	कुल (8 पवन वाले राज्य))	1136.71
	अन्य राज्य	27.14
	संपूर्ण भारत का कुल	**1163.85**

* क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) वाले 25 प्रतिशत से अधिक साइटों को ध्यान में रखते हुए संभाव्यता का आकलन किया जाता है।

****